

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2017—कार्तिक 26, शक 1939

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा", बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2017

क्रमांक: 1629/म.प्र.वि.नि.आ./2017 - विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 181 की उप धारा (2) खण्ड (जेड पी) के साथ पठित धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 जो म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 19.11.2010 को प्रकाशित हुआ था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम)

विनियम, 2010 में सातवाँ संशोधन [एआरजी-33(I)(vii), वर्ष 2017]

उपरोक्त विनियम में, विद्यमान विनियम 8, 9, 10 तथा 12.2 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

- “8. **विद्युत सह-उत्पादन तथा ऊर्जा से नवीकरणीय स्रोतों हेतु खुली पहुंच :**  
राज्य के भीतर ऊर्जा के विद्युत सह-उत्पादन तथा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अधीन पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में पर्याप्त क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन, खुली पहुंच प्रदान की जाएगी।
9. **विद्युत सह-उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अनुसूचीकरण :**  
(क) ऊर्जा का विद्युत सह-उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन का “अनुसूचीकरण” इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड, 2010, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाए, के उपबंधों के निबंधनों के अनुसूचीकरण के अध्यधीन होगा ।  
(ख) पवन, सौर, लघु जल एवं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ऊर्जा का उत्पादन “मैरिट ऑर्डर डिस्पैच प्रिंसिपल्स” के अध्यधीन नहीं होगा ।  
(ग) अन्य नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन/सह-उत्पादन के संयंत्र जिनकी क्षमता 2 मेगावाट तक ही हो सुयोग्यता के अनुसार प्रेषण सिद्धांतों “मैरिट ऑर्डर डिस्पैच प्रिंसिपल्स” के अध्यधीन नहीं होगा ।
10. **नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् उत्पादन/विद्युत् सह-उत्पादन से विद्युत् का आहरण :**  
नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् उत्पादन/विद्युत् सह-उत्पादन, ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के लिए अथवा उसके संयंत्र से विद्युत् प्रदाय बंद होने की कालावधि के दौरान अथवा ऐसी अन्य आकस्मिकता के दौरान पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से विस्तृत रूप से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत् के आहरण हेतु हकदार होंगे । ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा की बिलिंग, खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में तुल्यकालन के लिए टैरिफ अनुसूची के अधीन अवधि एवं दर पर की जाएगी । अन्य प्रकरणों में, यह बिलिंग उच्च दाब औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जाएगी ।

- 12.2 चक्रण प्रभार, प्रति सहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, चक्रण प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार एवं ऐसे अन्य प्रभार, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अधीन समय-समय पर, उसके खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में किये गये विनिश्चय के अनुसार लागू होंगे।”

आयोग के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, the 15th November 2017

No. 1629- MPERC-2017- In exercise of the powers conferred by clause (zp) of sub-section (2) of section 181 read with clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette on 19.11.2010, namely :-

**Seventh amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission  
(Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy)  
(Revision-I) Regulations, 2010 [ARG-33(I)(vii) of 2017]**

In the said Regulations, for the existing Regulations 8, 9, 10 and 12.2, the following regulations shall be substituted, namely :-

**" 8. Open Access for Co-generation and Renewable Sources of Energy**

Any person generating electricity from Co-generation and Renewable Sources of Energy shall have open Access under Section 42 of the Electricity Act, 2003, subject to the availability of adequate capacity in Transmission/Distribution Licensees' system within the State.

**9. Scheduling of Co-generation and Generation from Renewable Sources of Energy**

- (a) The Co-generation and generation from Renewable Sources of Energy shall be subjected to "Scheduling" in terms of the provisions of Indian Electricity Grid Code, 2010, as amended from time to time.
- (b) The generation of energy from Wind, Solar, Small Hydro and Municipal Solid Waste shall not be subjected to "Merit Order Despatch Principles".
- (c) Other renewable energy generating/cogeneration plants with capacity up to 2 MW shall not be subjected to "Merit Order Despatch Principles".

**10. Drawing power by Generator/Co-generation from Renewable Sources**

The Generator/Co-generation from Renewable Sources would be entitled to draw power exclusively for its own use from the Transmission/Distribution Licensees' network for synchronization of plant with the grid or during shutdown period of its plant or during such other emergencies. The power availed during synchronization of plant with the grid shall be billed for the period and at the rate as per retail supply tariff order under tariff schedule for synchronization. In other cases, it would be billed at the rate applicable to temporary connection under HT Industrial category.

- 12.2 Wheeling charges, Cross subsidy surcharge, additional surcharge on the wheeling charges and such other charges, if any, under Section 42 of the Electricity Act, 2003 shall be applicable at the rate as decided by the Commission from time to time in its retail supply tariff order."

**By order of the Commission**

**Shailendra Saxena, Commission Secretary**

## अंतिम नियम

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधि. क्र. 84-एफ-4-52-2012-18-1

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2017

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (2-क) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम संविदा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

#### संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 में,-

(1) खण्ड (ड) विलोपित किया जाए।

(2) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(छक) “मानव दिवस” से अभिप्रेत है, कतिपय दिवसों या घंटों के लिए नगर पालिक निगम द्वारा अवधारित विशेष कार्य;”।

(3) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात्:-

“(झक) “आऊटसोर्स सर्विस” से अभिप्रेत है शासन के पूर्व अनुमोदन से परिषद् द्वारा अनुसूची 1(अ) एवं 1(ब) में विहित की गई किसी फर्म/संस्थान/कम्पनी से लिए गए विनिर्दिष्ट कोई पद या सेवा;

“(झक) “अंशकालिक विशेषज्ञ” से अभिप्रेत है, परिषद् के साथ निष्पादित अनुबंध के रूप में मानव दिवस के लिए संविदा आधार पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए नियोजित कोई व्यक्ति या एजेन्सी;”।

(4) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(जक) “चयन एजेंसी” से अभिप्रेत है, अनुसूची-1 के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट संविदा अधिकारी और कर्मचारी;

(5) खण्ड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(ट) “चयन समिति” से अभिप्रेत है, अनुसूची-1 के कालम (6) में यथाविनिर्दिष्ट विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक की संविदा सेवा की अन्य सेवाशर्तों के चयन क्रियान्वयन के लिए गठित समिति;”।

(6) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(ण) “विशेषज्ञ” से अभिप्रेत है अनुसूची-1 (अ) में विनिर्दिष्ट पद;

(त) “तकनीकी सहायक ” से अभिप्रेत अनुसूची-1 (ब) में विनिर्दिष्ट पद ;”।

2. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“4. संविदा मानदेय का भुगतान,—

(1) संविदा आधार पर नियोजित सेवा के सदस्यों को मासिक संविदा मानदेय, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदत्त किया जाएगा। परन्तु संविदा मानदेय में वृद्धि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।

(2) सेवा के सदस्यों को संविदा मानदेय उन दिनों के लिये संदत्त नहीं किया जायेगा, जिस दौरान वह कर्तव्य पर अनुपस्थित रहता है।

(3) यदि विहित मानदेय पर अनुभवी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होता है तो राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से विहित अधिकतम मानदेय में वृद्धि की जा सकेगी।

(4) मानव दिवस पर नियुक्त विशेषज्ञों को, अनुबंध में उल्लेखित दिवसों का ही भुगतान किया जाएगा।

(5) विशेषज्ञ को निर्धारित मानव दिवस में अनुपस्थित होने पर उन दिनों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।”।

3. नियम 5 में,—

(1) उपनियम (1), (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(1) पदों की संख्या का अवधारण— नगर पालिक निगम में संविदा के पदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, 65 प्रतिशत निर्धारित स्थापना व्यय सीमा के भीतर रहते हुये अवधारित की जायेगी, किन्तु पदों की संख्या के निर्धारण हेतु प्रस्ताव नियुक्ति प्राधिकारी संचालनालय को अनुसूची- 2 के अनुसार, औचित्य बताते हुए विगत 3 वर्षों का स्थापना व्यय एवं ऑडिट किए हुए आय-व्यय पत्रक संलग्न कर, अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा। संचालनालय द्वारा विहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर संविदा पदों की संख्यात्मक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। संचालनालय से स्वीकृति उपरांत संविदा विशेषज्ञों/तकनीकी सहायकों के संवर्ग में नियुक्ति, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति का विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

(2) चयन और नियुक्ति.—

(क) अनुसूची 1(क) एवं 1(ख) में विनिर्दिष्ट किये गये पदों पर समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएंगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, विशेषज्ञ सेवाओं के लिये चयन एजेन्सी की सेवायें भी विहित प्रक्रिया से ले सकेगी;”

(ख) संविदा नियुक्ति, मानव दिवस आधार पर की जाएगी :

“परन्तु राज्य शासन या लोक सेवा उपक्रम के सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। आयुक्त, नगर पालिक निगम नियमित पद के विरुद्ध संविदा अवधि के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे और प्रयोजन के लिए चयन प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी। एक से अधिक अभ्यर्थी की दशा में, चयन

साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अध्याधीन किया जाएगा।

- (3) आयु सीमा.— संविदात्मक नियुक्ति के लिये, उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, जिसमें कि नियुक्ति किया जाना है, आयु सीमा विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक पद के लिए न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष होगी:

परन्तु यह कि संबंधित व्यक्ति, कर्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए।”।

- (2) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(4क) राज्य सरकार, कार्य के मूल्यांकन के पश्चात्, प्रत्येक तीन वर्ष में नियुक्ति के मानदण्ड जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, संविदा पारिश्रमिक आदि में परिवर्तन कर सकेगी”।

- (3) उपनियम (5) अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु किसी संवर्ग के एकांकी पद (किसी संवर्ग विशेष में केवल एक पद) के लिए आरक्षण अथवा आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।”।

- (4) उपनियम (6), (7) व (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

“(6) “विज्ञापन-नियुक्ति प्राधिकारी/चयन एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक के पद के लिये, राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार-पत्रों, रोजगार निर्माण व रोजगार समाचार में अनुसूची-3 के अनुसार रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी एवं वेबसाइट के माध्यम से भी रिक्त पदों की भरती के लिए विज्ञापन दिया जा सकेगा। विज्ञापन की एक प्रति नगरपालिक निगम के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी।



प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में दो बार विज्ञापन प्रकाशित करने के पश्चात् अनुभवी विशेषज्ञ न मिलने की दशा में, निगम, शासन से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् संविदा के मापदंडों में परिवर्तन कर सकेगा तथा पुनः विज्ञापन कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई परिवर्तन निगम विशेष तक ही सीमित होगा:

परन्तु यह और कि निगम स्तर पर पद पूर्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन प्रथम बार न्यूनतम मानदेय पर किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त मानदेय पर अभ्यर्थी न प्राप्त होने की स्थिति में ही 25 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि करते हुये क्रमशः अधिकतम मानदेय की ओर विज्ञापन प्रकाशित किये जाएंगे।”

- (7) नियुक्ति प्राधिकारी/चयन एजेंसी अनुसूची-4 में विहित किए गए प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् आवेदनों की संवीक्षा करेंगे और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेंगे। ”
- (8) नियुक्ति प्राधिकारी/चयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थियों का चयन, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या दोनों के माध्यम से किया जाए।”।
- (5) उपनियम (10) और (11) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-
- “(10) चयन समिति/चयन एजेंसी, यथास्थिति, प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्राप्त अंको के आधार पर अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगी तथा ऐसी सूची में भरे जाने वाले पदों की संख्या से अभ्यर्थियों की संख्या दुगनी होगी। यह चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
- (11) चयन समिति की अनुशंसाएं चयन के अंतिम प्रक्रम पर, संबंधित परिषद् के प्रेसीडेन्ट-इन-काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा संकल्प पारित होने के पश्चात्, पदों के अनुसार, मुख्य नगरपालिक अधिकारी

द्वारा नियुक्ति आदेश (अनुसूची 4 का प्रारूप) वर्णित की गई नियुक्ति की शर्तों सहित जारी किया जाएगा। प्रत्येक, नियुक्त व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक संविदा निष्पादित करेगा।

4. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"6. संविदा सेवा की अवधि तथा नियुक्ति,-

- (1) संविदा विशेषज्ञ/तकनीकी सहायकों, की संविदा पर नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिये अस्थायी रूप से आवश्यकता अनुसार की जाएगी।
- (2) ऐसे विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक, जिनकी सेवाओं की आवश्यकता दो वर्ष से अधिक के लिए है, उन्हें तीन माह की कालावधि के लिए परीक्षा पर रखा जाएगा।
- (3) संविदा कालावधि में वृद्धि- राज्य शासन, दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् तथा आयुक्त, नगर पालिक निगम, की अनुशंसा (अनुसूची-7) पर चयन समिति के मूल्यांकन के आधार पर संविदा विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक के कार्य, आचरण एवं प्रदर्शन के निर्धारण के पश्चात् संविदा कालावधि वृद्धि के संबंध में अंतिम विनिश्चय कर सकेगी।"

5. नियम 9 में,-

- (1) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) चयनित अभ्यर्थी, अनुसूची-5 में विहित नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी/ आयुक्त नगर निगम के साथ, 100 रुपये (सौ रुपये) के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध अनुसूची-6 के अनुसार निष्पादित करेगा। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाले व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किये जायेंगे।"

- (2) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(4) “इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, सेवा के दौरान शासकीय कार्य से दौरा करता है तो यात्रा तथा दैनिक भत्तों का निर्धारण वैसा ही किया जाएगा जैसा की उस श्रेणी के समकक्ष अधिकारी/कर्मचारी को शासन के यात्रा भत्ता नियम के अनुसार दिया जाता हो।”।

- (3) उपनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(7) अवकाश- एक वर्ष सेवा अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही इस अवधि में एक सप्ताह का चिकित्सा अवकाश एवं छः माह पश्चात एक सप्ताह के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में बिना सूचना के 5 दिन लगातार अनुपस्थिति की दशा में वेतन कटौती प्रस्तावित की जाएगी। महिला विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक अधिकतम 90(नब्बे) दिनों की प्रसुति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त वर्णित अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां आयुक्त, नगर पालिक निगम में निहित होंगी।”।

6. विद्यमान अनुसूचियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

“अनुसूची-1(अ)  
(नियम -2(ब))  
संविदा पर विशेषज्ञ पद

सं. क्र.	पद नाम	न्यूनतम संविदा मानदेय	अधिकतम संविदा मानदेय	न्यूनतम योग्यता	अनुभव	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकाउंट एक्सपर्ट	20000	40000	सी.एस./एम.बी.ए. वित्त	5 वर्ष	1. आयुक्त -अध्यक्ष 2 संबंधित विभागाध्यक्ष -सदस्य 3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो उपसंचालक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का न हो -सदस्य 4. आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी-सदस्य सचिव/संयोजक	मेयर- इन-काउंसिल
2	चार्टर्ड अकाउंटेंट	30000	60000	सी.ए. डिग्री आई.सी.ए.आई. से प्राप्त	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
3	फायनेंशियल एनालिस्ट	30000	60000	एम.बी.ए. वित्त	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
4	इकोनोमिस्ट	30000	60000	एम.बी.ए./अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
5	रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट	20000	40000	अर्बन प्लानर/एम.एस.सी. इकोनॉमिक	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
6	अकाउंट असिस्टेंट	8000	16000	एम.काम.	2 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
7	एच.आर. एक्सपर्ट	20000	40000	एम.बी.ए. (एच.आर.)	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
8	ट्रेनिंग एक्सपर्ट	20000	40000	एम.बी.ए. (एच.आर.)/एम.एस. डब्ल्यू	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
9	आई.ई.सी / डॉक्युमेंटेशन एक्सपर्ट	20000	40000	एम.काम./मास्टर इन कम्प्यूनिकेशन	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
10	ईवेन्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट	20000	40000	एम.बी.ए. (ईवेन्ट प्रबंधन)	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
11	सोशल डवलपमेंट एक्सपर्ट	20000	40000	एम.ए. समाजशास्त्र/ एम.एस. डब्ल्यू	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
12	हेरीटेज एक्सपर्ट	20000	40000	बी.आर्क.	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
13	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	20000	40000	एम.सी.ए./बी.ई. (कम्प्यूटर)	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -
14	ई-गवर्नेन्स चेंज मैनेजर	20000	40000	एम.सी.ए./बी.ई. (कम्प्यूटर)	5 वर्ष	-तदेव -	-तदेव -

15	प्रेग्रामर	12500	25000	एम.सी.ए./बी.ई. (कम्प्यूटर)	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
16	एनजी एक्सपर्ट	20000	40000	बी.ई. इलेक्ट्रिकल	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
17	वाटर सप्लाई सिवरेज इंजीनियर	30000	60000	एम.ई./एम.टेक (पी.एच.ई.)/बी.ई./बी.टेक सिविल	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
18	एन्वायोरमेंटल स्पेशलिस्ट	20000	40000	एम.टेक/बी.ई. (पर्यावरण इंजीनियरिंग/ पर्यावरण प्लानर)	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
19	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट	30000	60000	इंजीनियरिंग/मेडिकल/हेल्थ मैनेजमेंट डिग्री	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
20	सेनीटेशन एक्सपर्ट	20000	40000	बी.ई. (पर्यावरण इंजीनियरिंग)/एम.एस.सी. पर्यावरण विज्ञान	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
21	कंस्ट्रक्सन मैनेजमेंट एक्सपर्ट	20000	40000	बी.ई. सिविल	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
22	जूनियर इंजीनियर	8000	16000	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग डिग्री	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
23	लेक कंजर्वेशन एक्सपर्ट	20000	40000	एम.एस.सी. पर्यावरण विज्ञान	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
24	लैंड यूज एक्सपर्ट	20000	40000	अर्बन प्लानर/एम.एस.सी. इकोनॉमिक	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
25	लो कॉस्ट हाउसिंग एक्सपर्ट	20000	40000	बी.ई. सिविल	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
26	प्लानर(सिटी)	30000	60000	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्बन प्लानर डिग्री	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
27	प्रोजेक्ट मैनेजर	30000	60000	एम.बी.ए.	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
28	हॉर्टीकल्चर एक्सपर्ट	15000	30000	डिग्री बी.एस.सी. (एग्री.) या हार्टिकल्चर	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
29	प्रोक्वोरमेंट ऑफिसर	20000	40000	बी.टेक/बी.ई. (सिविल या मेकेनिकल)	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
30	आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट	20000	40000	डिजास्ट प्रबंधन में स्नातकोत्तर	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
31	फायर एक्सपर्ट	20000	40000	मान्यता प्राप्त संस्थान से फायर ऑपरेटर का कोर्स	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
32	फायर बिग्रेड मैनेजर	15000	30000	मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
33	विधि सलाहकार	20000	40000	किसी विषय में स्नातक एवं एल.एल.बी.	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
34	पर्सनल सेक्रेटरी	10000	20000	किसी विषय में स्नातक एवं	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
35	सोशल ऑर्गनाइजर	12500	25000	एम.ए. (समाजशास्त्र/ सामुदायिक संगठन, समाज प्रबंधन)	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
36	सहायक सोशल ऑर्गनाइजर	7500	15000	एम.एस.डब्ल्यू.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
37	ट्रांसपोर्टेशन प्रबंधक	30000	60000	डिग्री इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
38	प्रशिक्षक (कोच)	20000	40000	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजीकल एजुकेशन कोर्स कम से कम एक वर्ष का अनुभव	5 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -

**अनुसूची-1(ब)**  
**संविदा के अन्य पद**  
**[नियम 2(ण)]**

सं. क्र.	पद नाम	प्रस्तावित न्यूनतम संविदा मानदेय	प्रस्तावित अधिकतम * संविदा मानदेय	न्यूनतम योग्यता	अनुभव	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ऑफिस असिस्टेंट	4000	8000	एच.एस.सी.	2 वर्ष	1. आयुक्त -अध्यक्ष 2 संबंधित विभागाध्यक्ष -सदस्य 3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो उपसंचालक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का न हो- सदस्य 4. आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी -सदस्य सचिव/ संयोजक	मेयर- इन- काउंसिल
2	इलेक्ट्रिशियन	5000	10000	इलेक्ट्रीकल ट्रेड विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
3	मानचित्रकार	7500	15000	सिविल/आर्क./इले./मेक. विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
4	ट्रेसर	5000	10000	सिविल/आर्क./इले./मेक. विषय में आई.टी.आई.	1 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
5	कारपेंटर	5000	10000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
6	पेंटर	5000	10000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
7	लेहार	5000	10000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
8	एयर कंड्रेशन रिंग आपरेटर	6000	12000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
9	वाल्व मेन	4000	8000	प्लम्बिंग एण्ड फिटिंग विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
10	प्लंबर/फिटर	5000	10000	प्लम्बिंग एण्ड फिटिंग विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
11	केमिस्ट	7500	15000	बी.एस.सी. रसायन शास्त्र	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
12	मेकेनिक	5000	10000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
13	वेल्डर	5000	10000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
14	हैंडपंप मेकेनिक	4000	8000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
15	पंप ड्रायर/ पंप अटेंडेंट	4000	8000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
16	फिल्टर अटेंडेंट	4000	8000	संबंधित विषय में आई.टी.आई.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
17	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5000	10000	बी.सी.एस./पी.जी.डी.सी.ए.	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -
18	सुरक्षा गार्ड	4000	8000	एच.सी.सी./भूसैन्य अधिकारी	2 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -

## अनुसूची - 2

[नियम 5 (1)]

नगर पालिक निगम का नाम..... जिला ..... संभाग.....

## तालिका-01

1. संविदा आधार पर विशेषज्ञ पद का विवरण

क्र.	पद का नाम जिस पर संविदा नियुक्ति किया जाना है।	पद संख्या	अनुमानित मानदेय	संभावित सेवा अवधि	कुल समयावधि में व्यय	नियुक्ति का औचित्य
1						
2						
3						
4						

2. क्या विशेषज्ञ पद पर नियुक्ति किसी नगर पालिक निगम के नियमित पद के विरुद्ध की जा रही है। यदि हाँ, तो विवरण

1 समकक्ष पदनाम .....

2 समकक्ष रिक्त पदों की संख्या .....

3 रिक्त होने की अवधि (कब से रिक्त है) .....

3. यदि नहीं हो, तो परियोजना क्रियान्वयन हेतु पदों की आवश्यकता होने पर परियोजना का विवरण .....

4. स्थापना व्यय का विवरण (विगत तीन वर्ष)

क्र.	वर्ष	व्यय प्रतिशत	कुल व्यय
1			
2			
3			

5. प्रस्तावित नियुक्ति पश्चात् संभावित स्थापना व्यय में वृद्धि का प्रतिशत.....

**तालिका-02****1. संविदा आधार पर तकनीकी सहायक पद का विवरण**

क्र.	पद का नाम जिस पर संविदा नियुक्ति किया जाना है।	पद संख्या	अनुमानित मानदेय	संभावित सेवा अवधि	कुल समयावधि में व्यय	नियुक्ति का औचित्य
1						
2						
3						
4						

**2. क्या तकनीकी सहायक पद पर नियुक्ति किसी नगर पालिक निगम के नियमित पद के विरुद्ध की जा रही है। यदि हाँ, तो विवरण**

- 1 समकक्ष पदनाम .....
- 2 समकक्ष रिक्त पदों की संख्या .....
- 3 रिक्त होने की अवधि (कब से रिक्त है) .....

**3. यदि नहीं हो, तो परियोजना क्रियान्वयन हेतु पदों की आवश्यकता होने पर परियोजना का विवरण .....****4. स्थापना व्यय का विवरण (विगत तीन वर्ष)**

क्र.	वर्ष	व्यय प्रतिशत	
1			
2			
3			

5. प्रस्तावित नियुक्ति पश्चात् संभावित स्थापना व्यय में वृद्धि का प्रतिशत.....
6. विगत तीन वर्षों की ऑडिट किया हुआ आय व्यय पत्रक संलग्न करें।

**संचालनालय के उपयोग हेतु**

(राज्य शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रारूप।)

नगर पालिक निगम ..... द्वारा संविदा आधार पर विशेषज्ञ पद..... एवं तकनीकी सहायक पद ..... संख्या की पदपूर्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, परीक्षण उपरान्त पाया गया कि नगर पालिक निगम की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु..... पदों के विरुद्ध या स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ..... पदों की स्वीकृती प्रदान की जा सकती है। परीक्षण कर प्रस्ताव शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित है। नगर पालिक निगम का व्यय निर्धारित स्थापना व्यय सीमा में है।

स्थापना शाखा प्रमारी/

उप संचालक/

आयुक्त



## अनुसूची - 3

[नियम 5 (6)]

विज्ञापन का प्रारूप

दिनांक: .....

..... [नगर पालिक निगम का नाम].....

कार्यालय ..... के पत्र क्रं..... स्थापना ..... दिनांक ..... के अनुसार नगर पालिक निगम [नाम] हेतु [काडर का नाम] के पदों की आवश्यकता है। उक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जानी है। भरती संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	पद संख्या				योग	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	देय मानदेय
	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			

- (1) निर्धारित आयु सीमा .....
- (2) आवेदन शुल्क(यदि कोई हो) .....
- (3) आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि.....
- (4) आवेदन भेजने का पता .....
- (5) अन्य आवश्यक विवरण(यदि कोई हो) .....

विज्ञापन क्रमांक .....

(आयुक्त )

नगर पालिक निगम का नाम



## 14. पूर्व में किये गये कार्य का विवरण:-

स. क्र.	कार्य स्थल का नाम और पता	पद का नाम	सेवा का समयकाल		भूमिका एवं जिम्मेदारी
			से	तक	

## 15. किए गए प्रोजेक्ट का विवरण (यदि कोई हो):-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## सत्यापन

मैं..... आत्मज श्री ..... निवासी .....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं पूर्ण है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में असत्यता पाई जाती है तो नियुक्ति के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद मुझे सेवा के अयोग्य माना जायेगा। जिस के लिए पेनल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

## अनुसूची - 5

[नियम 9(1)]

.....नगर पालिक निगम.....

## प्रारूप

क्रमांक / .....

दिनांक.....

// आदेश //

नगर पालिक निगम .....के अन्तर्गत विभाग ..... में .....के .....  
रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार..... वर्ष की अवधि के लिए संविदा  
नियुक्त किए जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुपालन में श्री/सुश्री/श्रीमती  
..... आत्मज/आत्मजा श्री ..... आयु ..... वर्ष, निवासी .....  
..... को निम्न शर्तों के अन्तर्गत .....वर्ष के लिए संविदा आधार  
पर नियुक्त किया जाता है।

1. संविदा नियुक्ति.....वर्ष की अवधि के लिए रूपये..... प्रतिमाह वेतन पर अनुबंधित  
किया जावेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता/वेतन देय नहीं होगा।
2. श्री/सुश्री/श्रीमती..... को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर  
संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्य भार ग्रहण करना होगा।
3. एक वर्ष सेवा अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही इस अवधि  
में एक सप्ताह का चिकित्सा अवकाश एवं छः माह पश्चात एक सप्ताह के अर्जित अवकाश की  
पात्रता होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में 5 दिन लगातार अनुपस्थिति की दशा में वेतन  
कटौती प्रस्तावित की जाएगी।
4. सेवा के दौरान शासकीय कार्य से दौरा करने पर यात्रा तथा दैनिक भत्तों का निर्धारण .....  
..... श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी के समान शासन द्वारा निर्धारित यात्रा के यात्रा  
भत्ता नियम के अनुसार दिया जाएगा।
5. संविदा आधार पर नियुक्त विशेषज्ञ/ तकनीकी सहायक नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं  
होगे।
6. संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक मास की सूचना या एक  
मास की संविदा रकम भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
7. यदि संविदा आधार पर सेवा के दौरान आपके द्वारा बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना  
किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक मास से अधिक के लिये अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी  
संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जायेगी।

क्रमांक.....

आयुक्त  
नगर पालिक निगम

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. शासन

## अनुसूची - 6

## [नियम 9 (1)]

## अनुबंध का प्रारूप

यह, करार एक पक्ष के रूप में ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... आयु ..... निवासी ..... (जो इसमें, इसके पश्चात्, संविदा विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक के रूप में निर्दिष्ट है) और द्वितीय पक्ष के रूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम ..... (जो इसमें, इसके पश्चात् नियोजक के रूप में निर्दिष्ट है) के मध्य तारीख ..... को किया गया है।

अतः नियोजक ने मध्यप्रदेश नगर पालिक संविदा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों) नियम, 2007 के अधीन आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा नगर पालिक निगम ..... जिला ..... के लिये संविदा आधार पर ..... (पद नाम) के रूप में नियुक्ति किया है और संविदा विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक उक्त पद पर संविदा नियुक्ति के लिये सहमत है। अब पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति है:-

- (1) दोनों पक्ष उक्त नियमों से आबद्ध होंगे एवं उक्त किसी उपबंध का भंग कदाचार माना जायेगा।
- (2) विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक को नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जायेगा और मासिक संविदा मानदेय का भुगतान उस तारीख से किया जायेगा।
- (3) इस संविदा के संबंध में किसी विवाद की दशा में केवल नगर पालिक निगम की स्थानीय सीमाओं के स्थित न्यायालय की अधिकारिता होगी।
- (4) किसी कदाचार या किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त कर दें।
- (5) नियुक्ति किया गया कोई व्यक्ति, नगर पालिक निगम के आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन नियुक्ति किया गया कोई व्यक्ति, सेवा के दौरान शासकीय कार्य से दौरा करता है तो यात्रा तथा दैनिक भत्तों का निर्धारण वैसा ही किया जाएगा जैसा की उस श्रेणी के समकक्ष अधिकारी/कर्मचारी को शासन के यात्रा भत्ता नियम के अनुसार दिया जाता हो।
- (7) संविदा आधार पर सेवा के सदस्य पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं के हकदार नहीं होंगे तथा किसी बोनस आदि के हकदार नहीं होंगे।
- (8) संविदा आधार पर नियुक्ति विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक स्थानांतरण के हकदार नहीं होंगे न ही उनके पद स्थानांतरणीय होंगे।
- (9) संविदा आधार पर अनुबंधित विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक नियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
- (10) संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक मास की अग्रिम सूचना या एक मास की संविदा रकम भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- (11) इन नियमों के अधीन अनुबंधित कोई व्यक्ति महंगाई भत्ते, गृहभाड़ा भत्ते, चिकित्सा भत्ता/प्रतिपूर्ति या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा।
- (12) अवकाश- संविदा विशेषज्ञ/तकनीकी सहायकों को एक वर्ष की सेवा अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही इस अवधि में एक सप्ताह का चिकित्सा अवकाश एवं छः माह पश्चात एक सप्ताह के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में 5 दिन लगातार अनुपस्थिति की दशा में वेतन कटौती प्रस्तावित की जाएगी। महिला विशेषज्ञ/तकनीकी सहायक अधिकतम 90(नब्बे) दिनों की प्रसूति अवकाश

की हकदार होगी। उपरोक्त वर्णित अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां आयुक्त में निहित होंगी।

- (13) यदि संविदा आधार पर सेवा का सदस्य बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक मास से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसका संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुआ माना जायेगा।
- (14) सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षों ने इस करार पर उनके हस्ताक्षर के सामने क्रमशः उल्लिखित तारीख तथा वर्ष पर हस्ताक्षर किये।

साक्षी		पक्ष	
(1)	हस्ताक्षर..... नाम ..... पता .....	(1)	हस्ताक्षर..... नाम ..... पता .....
(2)	हस्ताक्षर..... नाम ..... पता .....	(2)	हस्ताक्षर..... नाम ..... पता .....

## अनुसूची - 7

[नियम 6(2)]

कार्य मूल्यांकन

मूल्यांकन वर्ष .....

नगर पालिक निगम का नाम.....

1. विशेषज्ञ का नाम
2. पद
3. नियुक्ति की अवधि.....(वर्ष) से .....(वर्ष)
4. कार्य का संक्षिप्त विवरण (प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा भरा जाए)

5. प्रतिवेदन अधिकारी  
(नाम तथा पदनाम).....

## विशेषताएं -

क्र	विशेषताएं	अ+	अ1	अ2	अ3	ब+	ब	स	द
i.	कार्य के प्रति दृष्टिकोण								
ii	निर्णय लेने की योग्यता								
iii	पहल करना एवं रचनात्मकता								
iv	व्यक्तिगत संबंध एवं समूह कार्य								
v	निरीक्षण तथा योजना बनाने की योग्यता								
vi	समन्वय की योग्यता								
vii	कार्य का ज्ञान								
viii	कार्य की गुणवत्ता								
ix	प्रबंधन उत्कृष्टता								
x.	वर्ष की कार्य उत्पादकता								

ग्रेडिंग	अंक
क+ असाधारण प्रतिभाशाली	9.1 - 10
क1 उत्कृष्ट	8.1 - 9
क2 बहुत अच्छा	7.1 - 8
क3 अच्छा	6.1 - 7
ख+ औसत	5.1 - 6
ख औसत से कम	4.1 - 5
ग उदासीन किन्तु सेवा जारी रखी जा सकती है	3.1 - 4
घ सेवा में जारी रखने योग्य नहीं	3 से कम - 3

विशेषज्ञ की समग्र ग्रेडिंग एवं उपरोक्त अंकों के आधार पर मेरे द्वारा समीक्षा की गई और कार्य मूल्यांकन अभिलेख को अनुमोदित किया गया है, मेरे ऑकलन के अनुसार विशेषज्ञ की ग्रेडिंग :

(क+ क1 क2 क3 ख+ ख ग घ )

हस्ताक्षर .....

दिनांक.....

(नाम एवं पदनाम).....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, उपसचिव.

Not. No. 84/F 4-52/2012/18-1

Bhopal the 16th November 2017

In exercise of the powers conferred by section 433 read with sub-section (2a) of section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Contract Service (Condition of Appointment and Service) Rules, 2007, namely:-

#### AMENDMENTS

In the said rules. -

1. in rule 2,-

(1) clause (e) shall be omitted;

(2) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ga) **"Man Days"** means special work determined by Municipal Corporation for certain days or hours;"

(3) after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ha) **"Out Source Service"** means any post or service specified in the Schedule IA and 1B taken from any firm/institution/company prescribed by the Council with the prior approval of the Government;

(hb) **"Part -Time Specialist"** means a person or agency deployed for providing service on contractual basis of man days by way of agreement made with the Council;"

(4) after clause (j) the following clause shall be inserted, namely:-

"(ja) **"Selection Agency"** means agency for selection of contractual officer and employee as specified in column (2) of SCHEDULE-I;"



(5) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-

“(k) **“Selection Committee”** means the committee constituted for selection/implementation of other service conditions of contractual service of Specialist/ Technical Assistant as specified in column (6) of the SCHEDULE-I;”.

(6) after clause (k), the following clauses shall be added, namely:-

“(l) **“Specialist”** means the post specified in the Schedule 1A ;

(m) **“Technical Assistant”** means the post specified in Schedule 1B ;”.

2. For rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

“4. Payment of contract honorarium. –

(1) The monthly contract honorarium to the members of services deployed on contract basis shall be paid as specified in the Schedule-I :

Provided that the increment in contractual honorarium shall be added subject to the orders issued by the State Government, from time to time.

(2) The contractual honorarium to the member of service shall not be paid for such days, during which he remains absent from duty.

(3) The prescribed maximum contract honorarium may be increased with the approval of the State Government, if experienced specialist is not available on prescribed honorarium.

(4) The Specialist appointed on the man-days basis shall be paid for such days which are mentioned in the agreement.

(5) The specialist shall not be paid for those days in which he remains absent on man-days.”.

**3. In the rule 5,-**

(1) for sub-rule (1), (2), and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) **Determination of the number of Post-** The number of contract posts in the Municipal Corporation, may be determined, subject to the Government order issued from time to time, by the appointing authority, within the 65% prescribed limit of establishment cost:

Provided that the appointing authority shall send a proposal for determining the number of posts to Directorate stating the rational in accordance with the Schedule-II, alongwith establishment expenditure and audited sheet of income and expenditure. Quantitative approval of contract posts give given by the Directorate after examining the prescribed provisions, and after obtaining the approval from the Directorate, the appointment in the cadre of contract specialists/ technical assistants shall be made through direct recruitment by selection committee. The decision of the selection committee shall be binding up on the appointing authority.

(2) **Selection and appointment.-**

(a) All the appointments to the posts specified in Schedule 1A and 1B shall be made by Appointment authority on the basis of the recommendation of the selection committee:

Provided that, the appointing authority may avail the services of the Selection Agency under prescribed provision for appointing the specialist.

(b) Contract appointment shall be made on man days basis :

Provided that, retired officers and employees of the State Government or Public sector undertaking may also be appointed against regular vacant posts on contract basis. The Commissioner, Municipal Corporation shall be the competent authority for contractual period against regular post and for this purpose no selection procedure shall be necessary. In case of more than one candidates, the selection shall be made through interview. Determination of their honorarium shall be subject to the directives issued from time to time by the General Administration and Finance Department.

- (3) **Age Limit.**- For the contractual appointment, first day of the January of that year in which deployment shall be made. Minimum age limit of the specialist/ Technical assistant is 25 year and maximum 65 year:

Provided that the person concerned must be physically and mentally fit for discharging the duties.”;

- (2) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be added, namely:-

“(4-a) The State Government, after evaluation of the work may make changes every three year in the norms of the appointment, such as educational qualification, experience, contract honorarium etc.”;

- (3) in sub-rule (5), at the end, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that, no reservation or reservation roster shall be applicable for single post (single post in any particular cadre) of any cadre.”;

- (4) for sub-rules (6), (7), and (8), following sub-rules shall 'be substituted, namely:-

“(6) Advertisement.- For the post of specialist/Technical Assistant, the vacancies shall be advertised by appointment authority /selection agency in at least two state level news papers, Rozgar Nirman and Employment News according to schedule- 3 and advertisement for recruitment of vacant posts may also be made through website. A copy of the advertisement shall also be exhibited on the notice board of the municipal corporation. In case of non availability of experienced specialist after publishing advertisement two times in state level news papers after obtaining concurrence of Government, corporation may change the norms of contract and re-advertise:

Provided that, any such change shall be limited to the particular corporation only :

Provided further that, at the corporation level, for filling, first time publication of advisement shall be compulsory to be made on minimum honorarium. Only in case of unavailability of candidates on the said honorarium, advertisement shall be published increasing 25 percent honorarium up to maximum honorarium.

- (7) the appointment authority/selection agency upon receiving the application in prescribed in schedule-4, shall scrutinize the applications and shall prepare a list of eligible candidates.
- (8) Appointment authority / selection agency shall ensure that selection of the candidates be made by competitive exam or by interview or by both.”;
- (5) for sub-rules (10) and (11), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(10)The selection committee/ selection agency shall prepare a selection list of the candidates on the basis of the marks obtained in competitive examination or interview or both, as the case may be, and such selection list shall contain the number in double to the number of the posts to be filled. This selection list shall be submitted to the Appointment Authority.

(11) Recommendations of the selection committee shall be put before the president-in-council at the last stage of the selection, and appointment order shall be issued in the format prescribed in schedule-4 by the chief municipal officer along with the conditions of appointment mentioned after passing the resolution, according to the post. Every apointee shall execute a contract before joining.”.

4. For rule 6, following rule shall be substituted, namely:-

“6. Period of Contract Service and Appointment.-

- (1) The appointment of Contract Specialist/ Technical Assistant shall be made temporarily for maximum 2 years as per need.
- (2) Such Contract Specialist / Technical assistant whose services are required for more than two years, they shall be placed on probation for a period of 3 month.
- (3) Extension of Contract Period.- After completion of the two years service and on the basis of the appraisal report of selection committee on recommendation of the Commissioner, Municipal Corporation (Schedule-7), the State Government, may take final decision in respect of the extension of the contract period after assessment of the duty, conduct and performance of the contract Specialist/ Technical assistant.”.

**5. In rule 9,-**

(1) for sub-rule (1), following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) the selected candidate shall execute an agreement according to schedule-6, with the appointing Authority/Commissioner, Municipal Corporation on Non-Judicial Stamp of Rs. 100/- (Rupees hundred only) just after the receipt of the appointment order(schedule-5). Expenses on execution of the agreement shall be borne by the selected candidate.”;

(2) for sub-rule (4), following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) If any person appointed under these rules, travels for official work, the travelling and daily allowances shall be determined same as is given to officer/ employee of that equivalent class, according to rules prescribed by Government for travelling allowance.”;

(3) for sub-rule (7), following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(7) Leave -The contract Specialist or Technical Assistant shall be entitled for maximum 13 days casual leave in a calendar year and also be entitled for medical leave of one week and after six month for earned leave of one week in this period. In case regular absent for more than 5 days without any information deduction in salary shall proposed. Women Specialist/ Technical Assistant shall be entitled for maximum ninety days maternity leave. The power to sanction above mentioned leave shall vest in the Commissioner of the Municipal Corporation.”.

6. For the existing schedules, the following schedules shall be substituted, namely:-

**"Schedule 1(A)**  
**Specialist Post on contract basis**  
**[Rule5(2)]**

Sr. No.	Name of Post	Minimum Monthly Contract Honorarium	Maximum Monthly Contract Honorarium	Minimum Education Qualification	Experience	Selection Committee	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Account Expert	20000	40000	CA/MBA (Finance)	5 Year	1. Commissioner –Chairman 2. Concerned Head of the department – Member 3. One member not below the rank of Dy. Director nominated by the Commissioner Urban Administration and Development – Member 4. One Officer nominated by the Commissioner –Member secretary/ Coordinator	Mayor-in-Council
2	Chartered Accountant	30000	60000	CA Degree from the I.C.A.I.	5 Year	-Do-	-Do-
3	Financial Analyst	30000	60000	MBA (Finance)	5 Year	-Do-	-Do-
4	Economist	30000	60000	MBA (Finance)/Post Graduate in Economics	5 Year	-Do-	-Do-

5	Resource Mobilization Expert	20000	40000	Urban Planner/ M.Sc. in Economics	5 Year	-Do-	-Do-
6	Account Assistant	8000	16000	M.Com.	2 year	-Do-	-Do-
7	H.R. Expert	30000	60000	MBA (HR)	5 year	-Do-	-Do-
8	Training Expert	20000	40000	MBA (HR)/ MSW	5 year	-Do-	-Do-
9	I.E.C. / Documentation Expert	20000	40000	M.Com/ Master in Communication	5Year	-Do-	-Do-
10	Event Management Expert	20000	40000	MBA event Management	5 Year	-Do-	-Do-
11	Social Development Expert	20000	40000	M.A. in Sociology/ MSW	5 Year	-Do-	-Do-
12	Heritage Expert	20000	40000	B.Arch.	5 Year	-Do-	-Do-
13	System Administrator	20000	40000	M.C.A./B.E. (Computer)	5 Year	-Do-	-Do-
14	E-Governance Change Manager	20000	40000	M.C.A./B.E.(Co mputer)	5 Year	-Do-	-Do-
15	Programmer	20000	40000	M.C.A./B.E.(Co mputer)	5 Year	-Do-	-Do-
16	Energy Expert	20000	40000	B.E.(Electrical)	5 Year	-Do-	-Do-
17	Water Supply Sewerage	30000	60000	ME/M Tech In Public Health	5 Year	-Do-	-Do-



	Engineer			Engineering (PHE)/BE/B Tech (Civil)			
18	Environment Specialist	20000	40000	M.Tech.(Environmental Engineering B.E./Environment Planner)	2 Year	-Do-	-Do-
19	Solid waste Management Expert	30000	60000	Engineering /Medical/ Health Management Degree from Recognized University.	5 Year	-Do-	-Do-
20	Sanitation Expert	20000	40000	B.E.(Environment Engineering)/ M.Sc. Environment Science	5 Year	-Do-	-Do-
21	Construction Management Expert	20000	40000	B.E. (Civil)	5 Year	-Do-	-Do-
22	Junior Engineer	8000	16000	Diploma in engineering from recognized University	2 Year	-Do-	-Do-
23	Lake Conservation Expert	20000	40000	M.Sc. Environment Science	5 Year	-Do-	-Do-
24	Land Use Expert	20000	40000	Urban Planner/ M.Sc. in Economy	5 Year	-Do-	-Do-
25	Low Cost Housing Expert	20000	40000	B.E. (Civil)	5 Year	-Do-	-Do-
26	Planner (City)	30000	60000	Degree in Town Planning from Recognized Institute	5 Year	-Do-	-Do-

27	Project Manager	30000	60000	MBA	5 Year	-Do-	-Do-
28	Horticulture Expert	15000	30000	Degree in B.Sc. (Agriculture) or Horticulture.	5 Year	-Do-	-Do-
29	Procurement Officer	20000	40000	B.E. / B.Tech. (Civil/Mechanical)	2 Year	-Do-	-Do-
30	Disaster management Expert	20000	40000	Master in Disaster Management	5 Year	-Do-	-Do-
31	Fire Expert	20000	40000	Fire safety Operator course from the recognized Institute.	5 Year	-Do-	-Do-
32	Fire Brigade Manager	15000	30000	Minimum one year Certified diploma course in fire brigade from any recognized institute.	2 Year	-Do-	-Do-
33	Legal Advisor	20000	40000	Graduate in any discipline with LLB	5 Year	-Do-	-Do-
34	Personal Secretary	10000	20000	Degree from recognized University/ retired Municipal personnel (stenography and Knowledge of Computer operating)	2 Year	-Do-	-Do-

35	Social Organizer	12500	25000	M.A. (Sociology)/ Community Development Diploma in Social Development).	5 Year	-Do-	-Do-
36	Assistant Social Organizer	7500	15000	MSW	2 Year	-Do-	-Do-
37	Transportation Manager	30000	60000	Degree in Transportation Management. from Recognized University	5 Year	-Do-	-Do-
38	Trainer (Coach)	20000	40000	Degree in Physical Education with Certificate Course of concern sports of at least one year from any recognized institute	5 Year	-Do-	-Do-

## Schedule 1(B)

Sr. No.	Name of Post	Minimum Monthly Contract Honorarium	Maximum Monthly Contract Honorarium	Minimum Education Qualification	Experience	Selection Committee	Appointing Authority
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Draughtsman	7500	15000	ITI pass in civil/ Arch/ Elec./ Mech.	2 Year	1. Commissioner –Chairman 2. Concerned Head of the department – Member 3. One member not below the rank of Dy. Director nominated by the Commissioner Urban Administration and Development –Member 4. One Officer nominated by the Commissioner –Member secretary/ Coordinator	Mayor- in-Council
2	Chemist	7500	15000	B.Sc. (Chemistry) from recognized University	2 Year	-Do-	-Do-
3	Air Compression Ring Operator	6000	12000	ITI pass in respective trade	2 Year	-Do-	-Do-
4	Electrician	5000	10000	ITI pass in Electrical trade	2 Year	-Do-	-Do-
5	Tracer	5000	10000	ITI pass in civil/ Arch/ Elec./ Mech.	1 Year	-Do-	-Do-

6	Date Entry Operator	5000	10000	B.C.A. / PGDCA and knowledge of Hindi and English Typing	2 Year	-Do-	-Do-
7	Carpenter	5000	10000	ITI pass in respective trade	2 Year	-Do-	-Do-
8	Painter	5000	10000	ITI pass in respective trade	2 Year	-Do-	-Do-
9	Blacksmith	5000	10000	ITI pass in respective trade	2 Year	-Do-	-Do-
10	Plumber/ Fitter	5000	10000	ITI pass in plumbing and fitting	2 Year	-Do-	-Do-
11	Mechanic	5000	10000	ITI pass in respective trade	2 Year	-Do-	-Do-
12	Welder	5000	10000	ITI pass in respective trade	2 Year	-Do-	-Do-
13	Hand Pump Mechanic	4000	8000	ITI pass in respective trade	2 Year	-Do-	-Do-
14	Office Assistant	4000	8000	12 <sup>th</sup> Class Pass	2 Year	-Do-	-Do-
15	Valve man	4000	8000	ITI pass in plumbing and fitting	1 Year	-Do-	-Do-
16	Filter Attendant	4000	8000	ITI pass in respective trade	1 Year	-Do-	-Do-
17	Security Guard	4000	8000	12 <sup>th</sup> Pass/ Preference will be given to Retired Military Person/Officer (Max. age 45 year)	2 Year	-Do-	-Do-
18	Pump Driver/ pump Attendant	4000	8000	ITI pass in respective trade	2 Year	-Do-	-Do-

Note:- Minimum Contract honorarium of Technical Assistant post on contract shall not be minimum from wages determined by Collector from time to time.

**Schedule- 2**

[Rule5(1)]

Name of Corporation.....District.....Division.....

**Table-01**

## 1. Description of post of Specialist on contract basis

S.No.	Name of the Post on which contract agreement is to be done	No. of Post	Expected Honorarium	Expected Service Period	Expenses in total Period	Rational of Deployment
1						
2						
3						
4						

## 2. Is Appointment of Specialist post being against regular post of Corporation. If yes,

Detail

- 1 Equivalent Post .....
- 2 No. of Vacant Equivalent Post .....
- 3 Period of Vacant (From when .....

## 3. If not, Description of Project for requirement of post to implementing the project.....

## 4. Detail of Establishment expenditure (Last three year)

S. No.	Year	Percentage of Expenditure	Total Expenditure
1			
2			
3			

## 5. Percentage increment in estimated expenditure after proposed appointment.....

**Table -02****1. Description of post of Technical Assistant on contract basis**

S.N o.	Name of the Post on which contract agreement is to be done	No. of Post	Expected Honorarium	Expected Service Period	Expenses in total Period	Rational of Deployment
1						
2						
3						

**2. Is Appointment of Technical Assistant post being against regular post of Corporation. If yes, Detail**

a. Equivalent Post .....

b. No. of Vacant Equivalent Post .....

c. Period of Vacant (From when

**3. If not, Description of Project for requirement of post to implementing the project.....**

.....

**4. Detail of Establishment expenditure (Last three year)**

S. No.	Year	Percentage of Expenditure	Total Expenditure
1			
2			
3			

**5. Percentage increment in estimated expenditure after proposed appointment.....****6. Enclosed last three year Audited balance sheet****For Directorate use.****(Proposal Format to submit the State Government for approval)**

A proposal for fulfillment of specialist post..... and Technical Assistant post..... on contract basis submitted by Municipal Corporation.....After examining, it found that to meet the immediate need of Corporation .....against the posts or for the implementation of approved project..... post may be sanctioned. After examined, proposal is submitted to the Government. Expenditure of council within the limit of establishment expenses.

In charge of Establishment department/

Deputy Director/

Commissioner

**Schedule-3**  
[Rule 5(6)]  
**Format for advertisement**

Date.....

.....Name of Municipal Corporation .....

According to the office ..... letter number ..... establishment ..... dated..... for the Municipal Corporation (name) ..... (Name of the cadre) ..... Post are required. The position to be appointed on the contract basis. Recruitment related details are as follows:-

Name of the Post	Number of the post				Total	Minimum Educational Qualification	Payable Honorarium
	Unreserved	S.C.	S.T.	OBC			

1. Prescribed Age Limit .....
2. Application fee(if any) .....
3. Last date of receiving application form .....
4. Address for sending application .....
5. Other essential detail ( if any) .....

Advertisement number.....

(Commissioner)

Name of Municipal Corporation





## 15. Detail of project done(if any)

.....  
 .....  
 .....

**Declaration**

I.....S/O/D/OMr.....Resident of  
 ..... hereby declare that information provided by me in the  
 application is correct and complete. If falsity found in the information provided by me in the any  
 phase of agreement or after the appointment, shall be ineligible me to service.

**(Signature of the Applicant)****Place:****Date:**

**Schedule -5**  
**[Rule 5(10)]**

.....Municipal Corporation.....

**Format**

S.No./.....

Date.....

**//Order//**

In the department ..... under the Municipal Corporation ..... for .....vacant post  
 of .....as per the recommendation of selection committee, in accordance with the approval  
 granted by the competent authority, to be appointing on the contract basis for the period of  
 ..... year Mr./Ms. ....S/o/D/O Mr..... Age..... year..... resident of  
 ..... appointed on the contract basis under the following condition, for the period  
 of.....year.

1. Appointed on contract basis for a period of ..... year shall be appointed at the honorarium of ..... rupees per month. No other allowances / salary will be payable in addition.
2. Mr./Ms. ....will have to join duties within 15 days of the issue of the appointment order at the place of contract appointment.
3. Shall be entitled for 13 days casual leave in the period of 1 year service. In addition in this period, shall be entitled for medical leave of 1 week and after six month earned leave of one week. But in any case of continues leave of 5 days without information deduction of salary will be proposed.
4. During the service tour for official purpose, Travel allowances shall be determined so as .....officer/ employee, the equivalent of that class are given according to rules prescribed by Government for traveling allowance.
5. The Specialist/ Technical Assistant appointed on contract basis shall not be entitled for regularization.
6. The contract service can be terminated after one month notice or on payment of one month contract amount by either party at any time.
7. If during the contract basis service you are absent from your duty for more than a month without any specific reason and without intimation, then your contract appointment shall be deemed to be terminated automatically from the date of such absence.

**Commissioner**  
**Municipal**  
**Corporation.....**

No. ....

CC:- For information

1. Commissioner, Urban Administration and development department, M.P. Government.

**Schedule-6**

[Rule9(1)]

**Agreement Format**

This Agreement is made on the .....day of .....between (Name) ..... S/O/W/O.....Age.....Resident of .....(hereinafter referred to as contract of Specialist/ Technical Assistant) on one part and the Commissioner (hereinafter referred to as employer) on the second part.

Whereas the employer vide order No. .... Dated..... has appointed the specialist/ Technical Assistant on contract for Municipal Corporation ..... District..... and the contract Specialist/ Technical assistant has agreed for the contract appointment on the said post under the recruitment on contract basis.

Now it is agreed between the parties as follows :-

- (i) Both the parties shall be bound by said rules and any breach of any provision of said rules by the employee shall be deemed to be misconduct.
- (ii) The employee shall be deemed to be in contract from the date of joining at the place of appointment and the monthly contract Honorarium shall be paid from the date.
- (iii) In case of any dispute regarding this contract, the jurisdiction shall be the court situated within the local limit of the Municipal Corporation.
- (iv) In case of any misconduct or indulgent in any criminal activity, the employer shall have the right to terminate the contract agreement of such contract Specialist / Technical Assistant.

In witness whereof the parties hereto have signed this agreement on the date and year respectively mentioned against their signature:-

Witness		Parties	
1	Signature .....	1	Signature .....
	Name .....		Name .....
	Address .....		Address .....
2	Signature .....	2	Signature .....
	Name .....		Name .....
	Address .....		Address .....

**Schedule -7**  
[Rule 6(3)]  
**Performance Review**

Review Year.....

Name of the Corporation.....

1. Name of Specialist .....
2. Designation .....
3. Duration of Contract .....(Year) to .....(Year)
4. Brief Description of Assignment (Filled by Reporting Officer)  
.....  
.....

5. Reporting Officer

(Name and Designation).....

**Attributes**

No.	Attributes	A+	A1	A2	A3	B+	B	C	D
i.	Attitude to work								
ii	Decision making Ability								
iii	Initiative and Creativity								
iv	Interpersonal Relation and Team work								
v	Planning and Supervisory ability								
vi	Coordination ability								
vii	Knowledge of Work								
viii	Quality of Work								
ix	Management Excellence								
X	Work Output for the year								

Grading	Marks
A+ Exceptionally Brilliant	9.1 – 10
A1 Outstanding	8.1 – 9
A2 Very Good	7.1 – 8
A3 Good	6.1 – 7
B+ Average	5.1 – 6
B Below Average	4.1 – 5
C Indifferent but just worth retaining	3.1 – 4
D Not worth retaining in service	Below 3 to 3

I have reviewed and approved the performance review document. Based on above marking the overall grading of the specialist, as per my assessment is:

(A+    A1    A2    A3    B+    B    C    D)

Signature.....

Date.....

(Name and designation)....."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BHARAT YADAV, Dy. Secy.

अधि. क्र. 86-एफ-4-102-2015-18-1

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2017

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्त) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 4 में, उप-नियम (1) में, शब्द "सीधी भर्ती, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति" के स्थान पर, शब्द "सीधी भर्ती, पदोन्नति, संविलियन या प्रतिनियुक्ति" स्थापित किए जाएं।
2. नियम 8-ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"8-घ - ऐसी ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय नगरीय निकायों के कर्मचारी, जिनका विलय नगरपालिक निगम में किया गया है, का नगरपालिक निगमों में संविलियन निम्नानुसार किया जा सकता है:-

- (1) विलय हुई ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी आयुक्त, नगरपालिक निगम द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से तथा स्थानीय नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी संबंधित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त की जाएगी।
- (2) नगरपालिक निगम में विलय हुई ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगरीय निकायों के केवल उन्हीं अधिकारी/ कर्मचारियों का संविलियन नगरपालिक निगम में किया जाएगा, जो विलय हुई ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय के मूल कर्मचारी हैं। राज्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी का संविलियन नगरपालिक निगम में नहीं किया जा सकता।
- (3) नगरपालिक निगमों में विलय हुई ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगरीय निकायों के अधिकारी/कर्मचारी के संविलियन हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाएगी:-

(एक) आयुक्त, नगरपालिक निगम अथवा उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो अपर आयुक्त की पद श्रेणी से नीचे का न हो- सभापति/अध्यक्ष

(दो) अपर आयुक्त/ उपायुक्त अथवा निगम की वित्त शाखा का वरिष्ठ अधिकारी- सदस्य

(तीन) संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास- सदस्य

(चार) अपर आयुक्त/ उपायुक्त/सहायक आयुक्त, जो निगम की स्थापना शाखा का प्रभारी अधिकारी हो- सदस्य सचिव

- (4) नगर निगम में विलय हुई ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगरीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों को, जो वर्तमान पद पर न्यूनतम 5 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उन पदों पर संविलियन किया जाएगा जो अनुसूची-1 सीधी भर्ती के लिए उल्लिखित पदों के समतुल्य हैं यद्यपि ऐसा कर्मचारी अनुसूची-1 में यथा उल्लिखित न्यूनतम अर्हता रखता है या नहीं रखता है।
- (5) नगर निगम में विलय हुई ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगरीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों का, जो वर्तमान पद पर 5 वर्ष से कम समय से कार्य कर रहे हैं उन पदों पर संविलियन किया जाएगा जो अनुसूची-1 में सीधी भर्ती के लिए उल्लिखित पदों के समतुल्य हैं और ऐसे कर्मचारी के पास अनुसूची-1 में यथा उल्लिखित न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। ऊपर उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के मामले में समिति सूक्ष्म जांच करेगी।
- (6) यदि समिति यह समझती है कि ऐसे कर्मचारी, सीधी भरती के उन पदों के लिए, जो उनके वर्तमान पदों के समतुल्य हैं, उपयुक्त हैं तो उनका सीधी भरती के ऐसे पदों पर संविलियन किया जाएगा। यदि ऐसे कर्मचारी समिति द्वारा समकक्ष पद के उपयुक्त न समझे जाएं, तो उनका ऐसे अन्य सीधी भरती के पदों पर संविलियन कर लिया जाएगा, जिनके लिए समिति उन्हें उपयुक्त समझे, तथापि वेतन तथा वर्तमान वेतनमान संरक्षित रहेगा।
- (7) समिति, उपरोक्त कथित संन्नियमों पर कर्मचारियों के प्रकरणों का परीक्षण करने के पश्चात् अपनी अनुशंसाएं महापौर-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी। संविलियन किए गए कर्मचारी के संविलियन आदेश महापौर परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् जारी किए जाएंगे।
- (8) समिति, यथासंभव, इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर ही संविलियन करेगी। आपवादिक मामलों में, यदि समिति के विचार में संविलियन पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के पद पर किया जाना आवश्यक है, तो ऐसे प्रकरण महापौर परिषद् की अनुशंसा सहित राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार संविलियन किया जाएगा।
- (9) संविलियन किए गए कर्मचारी की वरिष्ठता संविलियन किए गए पद के संवर्ग में नगरपालिक निगम के मूल कर्मचारियों की वरिष्ठता के नीचे, तथा संविलियन की तारीख से विधिमान्य होगी। ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगरीय निकायों के संविलियन किए गए एक से अधिक कर्मचारी का संविलियन होने की दशा में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण नगरपालिक निगम के मूल कर्मचारियों की वरिष्ठता के नीचे उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगरीय निकायों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, उपसचिव.

Not. No. 86/F 4-102//2015/18-1

Bhopal the 16th November 2017

In exercise of the powers conferred by section 433 read with sub-section (1) of section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Appointment and Service Conditions for Officers and Servants) Rules, 2000, namely :-

### AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 4, in sub-rule (1), for the words "Direct Recruitment, Promotion or Deputation", the words "Direct Recruitment, Promotion, Merger or Deputation" shall be substituted.

2. After rule 8-C, the following rule shall be added, namely:-

"8-D. Employees of such Gram Panchayats and Urban Local Bodies, whose merger has been made in Municipal Corporation, can be merged in Municipal Corporation as follows:-

(1) Commissioner, Municipal Corporation shall collect the information of employees working in the merged Gram Panchayats from Chief Executive Officer, Jila Panchayat and of employees working in the merged Urban Local Bodies from Chief Municipal Officer of the concerned body.

(2) Only those officers/employees of merged Gram Panchayats/ Urban Local Bodies shall be merged in Municipal Corporation, who are the substantive employee of merged Gram Panchayat/Urban Local Bodies. The officer/employee of State cadre cannot be merged in Municipal Corporation.

(3) The following committee shall be constituted for the merger of the officer/employee of Gram Panchayats/ Urban Local Bodies merged in Municipal Corporations :-

(i) Commissioner, Municipal Corporation  
or an officer nominated by him who  
shall not be below the rank of  
Additional Commissioner

Chairperson/  
President

- |       |   |   |                     |
|-------|---|---|---------------------|
| (ii)  | Additional Commissioner/ Deputy<br>Deputy Commissioner or Senior<br>Officer<br>of Finance section of Corporation                              | - | Member              |
| (iii) | Divisional Joint Director, Urban<br>Administration and Development  | - | Member              |
| (iv)  | Additional Commissioner/Deputy<br>Commissioner/Assistant<br>Commissioner, who is in-charge officer<br>of establishment section of corporation | - | Member<br>Secretary |
- (4) Such employees of Gram Panchayats/Urban Local Bodies merged in Municipal Corporation, who are working at the present post for minimum 5 year, shall be merged on those posts, which are equivalent to the post mentioned for direct recruitment in Schedule-I even if such employees have or does not have prescribed minimum qualification as mentioned in Schedule-I.-
- (5) Such employees of Gram Panchayats/Urban Local Bodies merged in Municipal Corporation, who are working at the present post for less than 5 year, shall be merged on those posts, which are equivalent to the post mentioned for of direct recruitment in Schedule-I and such employee shall have prescribed minimum qualification as mentioned in Schedule-I. In case of the employees other than employees mentioned in sub-rule (4) above, the committee shall make subtle enquiry.
- (6) If committee considers that such employees are suitable for such posts of direct recruitment which are equivalent of their present posts then they shall be merged on such direct recruitment posts. If such employees are not considered suitable by the committee for equivalent post then they shall be merged in such other posts of direct recruitment for which they are considered suitable by the committee, however the pay and current pay scale shall be remain protected.



- (7) After examining the cases of employees on above stated norms, the Committee shall present its recommendations before the Mayor-in- Council. The order of Merger of merged employee shall be issued after the approval of Mayor-in- Council.
- (8) The Committee, so far as possible, shall make merger only on the posts of Direct Recruitment under these rules. In exceptional casess, if in the opinion of the committee, merger on the post of promotion or deputation is necessary, then such cases shall be forwarded to the State Government with the recommendation of Mayor-in-council. The merger shall be made as per the order of the State Government.
- (9) The Seniority of merged employee shall be below the seniority of substantive original employees of Municipal Corporation in the cadre of post merged and shall be valid from the date of merger. In case of merger of more than one merged employees of Gram Panchayats/ Urban Local Bodies, the determination of their seniority shall be made below the seniority of substantive employees of the Municipal Corporation from the date of their joining in the concerned Gram Panchayats/ Urban Local Bodies.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BHARAT YADAV, Dy. Secy.